XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक विविध 875–तीन/11

जिला – कटनी

ा तथा क	कार्यवाही तथा आदे ा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.8.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह अवमानना आवेदन राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 23–3–07 के विरूद्ध दिनांक 4–6–11 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । इस न्यायालय के आदेश के पालन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई यह अद्यतन स्थिति आवेदक अधिवक्ता बताने में असमर्थ रहे हैं । मानहानि अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष के उपरांत कार्यवाही किया जाना विधिसंगत नहीं है । ऐसी स्थिति में यह अवमानना प्रकरण समाप्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर	

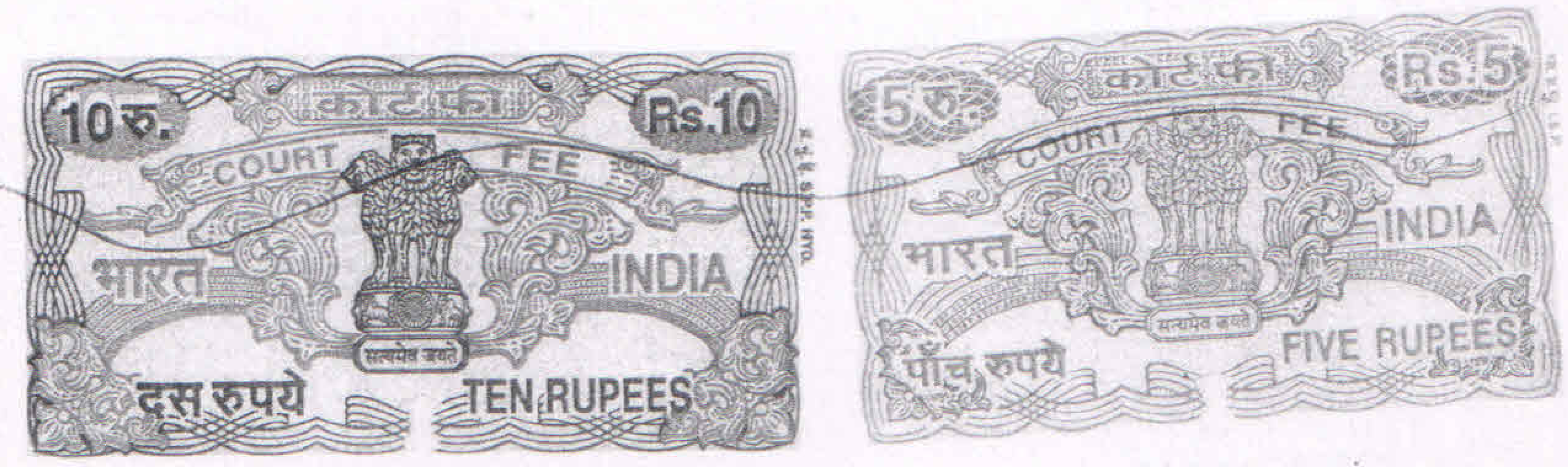

M-875-III/2011

न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2011 विविध/[illegible]

1. मै. अशोक कुमार आलोक कुमार चूनावाला स्टेशन रोड़ कटिनी म.प्र.।
2. मैं. एस गोइनिका आनन्द गोइनका डायरेक्टर लाइम एड कैमिकल स्टेशन रोड़ जिला कटिनी म.प्र.

———आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान एस. शैलेन्द्रम कलेक्टर कटिनी।
2. श्री आर.ए.खण्डेलवाल अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।

———अनावेदकगण

5/6/11